

connected therewith or incidental thereto, and also further to amend the Reserve Bank of India Act, 1934, and the State Bank of India Act, 1955".

*The motion was adopted.*

SHRI JAGANNATH PAHADIA :  
I introduce the Bill.†

12.55 HOURS

#### CIVIL DEFENCE BILL\*

THE MINISTER OF STATE IN  
THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
(SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA):  
On behalf of Shri Y. B. Chavan, I beg  
to move for leave to introduce a Bill  
to make provision for civil defence and  
for matters connected therewith.

MR. SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to make provision for civil defence and for matters connected therewith".

*The motion was adopted*

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA :  
I introduce the Bill.

11.56 hrs.

#### COMMITTEE ON PRIVILEGES FOURTH REPORT

श्री श्रीचन्व गोयल (चण्डीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं चौथी लोक सभा की विशेषाधिकार समिति की चौथी रिपोर्ट पर यह विवाद उठाना चाहता हूँ। 4 जून को, जब कि देश की संसद् में हजारी रिपोर्ट के सम्बन्ध में विचार हो रहा था, हिन्दुस्तान टाइम्स के एडीटर, श्री मूलगांवकर, ने "श्रीडज फ्राफ दि स्टार चेम्बर" के शीर्षक से एक लेख लिखा, जिस को पढ़ कर कोई भी व्यक्ति इस नतीजे पर पहुँचे बगैर नहीं रह सकता कि सम्पादक महोदय ने इस सदन की गरिमा को बड़ा

भारी धक्का लगाया है, इस सदन की तुलना स्टार चेम्बर से कर के इस को अपमानित किया है, इस की मान-हानि की है।

मैं ने इंग्लैंड का इतिहास पढ़ा है। मैं स्टार चेम्बर नाम की कोर्ट की कुछ पृष्ठभूमि भ्राप की सेवा में रखना चाहता हूँ। चार्ल्स द्वितीय और चार्ल्स तृतीय के समय से इंग्लैंड में स्टार चेम्बर नाम की एक कोर्ट थी, जिस की छत पर सितारे बने हुए थे। उस कोर्ट में जो सदस्य बैठते थे, वे केवल इधर-उधर की सुनी हुई भ्रफवाहों के भ्राघार पर, किसी बात का सबूत लिये बगैर, एक सम्मरी ढंन से लोगों की ट्रायल कर के उन को दंड देते थे और उन पर भ्रत्याचार करते थे। उन लोगों ने बड़े गैर-जिम्मेदार तरीके से व्यवहार करना शुरू किया था। उसी कारण उस समय राजा और संसद् के बीच में एक संघर्ष चला। उस संघर्ष में आखिर में संसद् की विजय हुई और उस ने उस स्टार चेम्बर की कोर्ट को दबाया।

स्टार चेम्बर की कोर्ट से इस संसद् की तुलना कर के सम्पादक महोदय ने यह कल्पना देने की कोशिश की है कि मानों भ्राज का यह हमारा सदन एक गैर-जिम्मेदार लोगों का सदन है, किसी बात की जांच-पड़ताल किये बगैर इस सदन में भीषण और गम्भीर आरोप लगाए जाते हैं। उस लेख में से कुछ उद्धरण पढ़ कर मैं यह सिद्ध करूंगा कि किस प्रकार सम्पादक महोदय ने भ्राज के इस जनतंत्र के प्रभुसत्ता-सम्पन्न सर्वोपरि सदन को लोगों की नजरों में बेइज्जत करने का प्रयत्न किया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी सम्पादक महोदय को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है।

परन्तु एक स्वतंत्र देश में जैसा कि कहा गया है कि किसी की भी भ्राजादी उस की नाक से परे नहीं चलती। एक व्यक्ति भ्रब दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालता है या दूसरे के ऊपर इस तरह की नुक्ताचीनी करता है तो उसे यह भी देखना चाहिए कि क्या जिस लोकतं

\*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 23-12-67.

†Introduced with the recommendation of the President.